

27.03.18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बार-बार
आवाज लगावाई गई किन्तु ^{राक्षस} वादीगण अशांतता या
वकालतन उपस्थित नहीं आये। अतः दावा वादीगण
अच्छ हाजरी व अक्षम पैरवी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फ़ैसल नुमा होकर नंबर से
कम हो एवं बाद तककील जमा जिला अफिस
हो। (13)

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापूर सिटी